

फर्द अहकाम
नियम 25

उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमरावा
जुना मुकाम कूलचन्द कोठे
दिनांक नं 482 मन् 20.23

हुकम या कार्यवाही मध्य इतिहासक्रम जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो हुकम
हुकम की ताकील
में जारी हुए

23-2-23 आज यह वाद पत्र वकील वडीम
के उपस्थित होकर पेश किया। दर्ज रजिस्टर
हो। अतिवादीगवा जर्म रजिस्ट्रार समत
बनवा में तलब हो। वडी के वकील रजि-
लवा तलबवा पेश करे। फावली वास्ते
की तलबी दिनांक 22-1-24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नीमरावा (कोटपूतली-बरोडे)

22/1/24

आज यह पत्रवाली पेश हुई। बार तथा नीमरावा द्वारा ब्यब
स्थान किन्हे जाने का इजाजत पेश किया है। पत्रवाली पूर्व
अनुसार अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक 09-4-24
को पेश हो।

रीडर

24-4-24 आज पत्रवाली पेश हुई। वकील वडी
के उपस्थित पत्रवाली में क्षतिवादी संख्या 1 की तरफ
से श्री मकरध्वज शर्मा की मोरम तकात्मकता
पेश किया। फावली शीमल मिश्र रजि। फाव
तारीख 24-4-24 रजि। तलबी दिनांक 05-24
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नीमरावा

११४-१५ आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाय १५०
पीठासीन अधिकारी न्यायालय
मिटिंग में पधारें। पत्रावली उनमें
समय दि १०-१०-२५ को पेश हो। ७

०५-१५ आज यह पत्रावली पेश की गई फरीकेन के
वकूलाय उपस्थित हैं। पीठासीन अधिकारी का
स्थानान्तरण हो चुका है। उनके जाने पर
पत्रावली दिनांक २५-१०-२५ को पेश की जावे ७

२५-१५ आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सच नीमराना द्वारा कार्य
स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्ण
आदेशिका अनुसार अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक ७-७-२५
को पेश हो।

रीडर

७-७-२५ आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरीकेन
आ श्री पीठासीन अधिकारी न्यायालय/दोनों
मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली उनके
समय दि ०-१०-२५ को पेश हो। ७

१०-१०-२५ आज पत्रावली पेश
हुई। वकील वाकी नमुषाएकी
पत्रावली में समस्त दिखवई की
कोई को सहायक नदी न्यायालय
पत्रावली में वाकी क वादी पत्रों
को समस्त दि १-५-१५ से
वकूलाय फरीकेन को वाकी के
वकूलाय हेतु आज-वाकूलाय के
नदी के उपरान्त की वाकी के
समस्त वकूलाय पत्रावली में
पत्रावली का वाकूलाय नमुषाएकी
में वाकी के समस्त उभाकी। को
वाकी के पत्रावली में वाकी के
के समस्त वकूलाय को वाकी के

उपसचंड अधिकारी
नीमराना (पत्रावली-नरको)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

रणधीर पुत्र स्व० श्री इन्द्राज जाति अहीर निवासी नैचाना तह० बावल जिला रेवाड़ी
हाल निवासी फौलादपुर तह० नीमराना

बनाम

मूलचन्द तथाकथित पुत्र स्व० श्री इन्द्राज जाति अहीर निवासी फौलादपुर तह० नीमराना

मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर०टी०एक्ट

न० 394

सन 2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुए

21.12.2023 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 102 रकबा 0.5900 है० का 3/4 भाग व आराजी खसरा हाल 103,1114,1115,1116,1129,1130,1131,1132,1135,1160, 1165,1251,150,172,2005 वाके ग्राम फौलादपुर तह० नीमराना जिला कोटपुतली-बहरोड़ राजस्थान के प्रार्थी के कब्जा काश्त में मजामत पैदा न करें राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब हो। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 22.01.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

दिनांक

10-10-25

आपको सूचित किया जाता है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (फोटोपूतली-बहरोड़)

आपको सूचित किया जाता है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ है।

10-10-25

आपको सूचित किया जाता है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ है।

25-2-25

आपको सूचित किया जाता है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ है।

7-7-25

आपको सूचित किया जाता है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ है।

10-7-25

आपको सूचित किया जाता है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (फोटोपूतली-बहरोड़)